

Shri C. Subramaniam: There is an agreement that there will be a common retention price for all the plants, in the public sector as well as in the private sector—old and new. Therefore, we cannot make such a distinction. (*Interruption*).

Mr. Speaker: Order, order.

Shri C. Subramaniam: But that agreement lasts only up to 31st March, 1962 Hereafter, it is open to us to make a variation if it is found necessary.

Shri Tyagi: I had read in some newspapers that the Indian Iron earned a profit of Rs. 12 crores out of their total block of Rs. 12 crores. Under these circumstances, I was anxious to know how much margin is given. There are three main iron steel producing units: one is the Indian Iron; another is Tata; and the third comes under the public sector. After fixing this basic, retention price, I want to know how much is the margin which is calculated by the Tariff Commission, how much of the margin of profit goes to each of these three units.

Shri C. Subramaniam: Any hon. Member can work out the arithmetic. I do not expect the hon. Member to have it done by me.

12.55 hrs.

MOTION RE: JOINT COMMITTEE

The Minister of Law (Shri A. K. Sen): I beg to move:

"That in the motion adopted on Wednesday, September 5, 1962 concurring in the recommendation of Rajya Sabha that Lok Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to consolidate and amend the law for the limitation of suits and other proceeding and for purposes connected therewith, the names of the following Members who are in excess of the number of the Members of Lok Sabha to be nominated to serve on the said Joint Committee be omitted and a message sent

to Rajya Sabha making the necessary correction in the message sent to that House on the 5th September, 1962: Shri P. C. Borooah, Shri Bhola Raut, Shrimati Subhadra Joshi, Shri Virbhadra Singh, Shri Gopal Dutt Mengi, Shri T. Abdul Wahid, Shrimati Sangam Laxmi Bai, Shri Bishen Chander Seth, Shri Frank Anthony and Shri Tridib Kumar Chaudhuri."

I apologise for this mistake which occurred the other day through the in advertence of the several people concerned in drawing up the list of names. What happened was, the Rajya Sabha passed a motion requesting the Lok Sabha to nominate 20 Members for the Joint Committee on the Limitation Bill. They nominated ten from their own House. when the subject came in here, the motion that we adopted was that we concur with that motion for nominating 20 names, but 30 names got into the list which was put in. Therefore, unfortunately, we have to drop out ten of the excess names which got into the list and the correction has to be done. The excess names were included sheerly by an inadvertence and the mistake was not detected here at the time of the motion nor even at the time when it was transmitted.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, I raise a point of order. This, in all conscience, is a serious matter. I do not like to say that it is an affront to the House, but certainly this is not the way in which the House ought to be treated. The hon. Members of this House could, if the opportunity offered itself, raise it as a matter of privilege. But there is no time nor is this the occasion for it. But this is a serious matter. We would like to know from the Minister as to who was incharge of the Bill on that particular day. Well, he is not listening to what I am saying. It is wrong for a Minister to engage himself in conversation now. I would request you to tell him not to engage himself in conversation.

Mr. Speaker: I would request the Minister—

Shri Hari Vishnu Kamath: I have not yet finished. I would request you to ask the Minister to tell the House—well, he is again engaged in conversation with the Minister without Portfolio. He has a portfolio; why should he engage himself in conversation with the Minister without Portfolio now?

Mr. Speaker: Probably he is preparing the answer for the hon. Member.

Shri Hari Vishnu Kamath: Who?

Mr. Speaker: The Law Minister; perhaps he is trying to prepare the answer to the objection raised.

Shri Hari Vishnu Kamath: So far as this particular matter is concerned, I think his junior, Shri Bibudhendra Mishra, was in charge of the Bill on that day. I want to know whether it was his mistake. It is more than a mistake; it is a blunder, and I am advisedly using that word 'blunder'. It is a very serious matter, and we hope that under your direction and guidance, the Ministers on the Treasury Benches would not be so careless as to commit such a blunder, which they should not have, after so much of experience.

13 hrs.

Mr. Speaker: Did he want to make only comments or any suggestion also?

Shri Hari Vishnu Kamath: I want to know who was in charge.

Mr. Speaker: That he has said.

Shri Hari Vishnu Kamath: About the other point, you will be good enough to chastise them for this, mildly and gently if necessary.

Mr. Speaker: I did it mildly, but the hon. Member does not do it mildly.

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) :
श्रीन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, पर अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ

कि कृष्ण जीक प्रोपोज़िटर को ३३८ शरा में यज्ञ लिखा हुआ है—

"A motion shall not raise a question substantially identical with one on which the House has given a decision in the same session."

मेरा कहना यह है कि इसी विषय पर मंत्रालय ने निर्णय ले लिया है जब सदन के इसी सेशन में कुछ निर्णय हो चुका है तब इस पर दूसरा प्रस्ताव नहीं आ सकता जोकि ला निनिश्चर ले आये है इसलिये मेरा निवेदन यह है कि श्री महोदय का यह प्रस्ताव मान लिया जाय क्योंकि इस विषय पर हफ निर्णय ले चुके हैं ।

दूसरी बात मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि मेज पार्लियामेंटरी प्रिन्सिपल के रोज ६६२ पर लिखा है कि अगर सदन चाहे तो यह कर सकता है कि वह दूसरे सदन का यह सलाह दे कि बजाये २० के यहां पर ३० सदाय रखे जायें और राज्य सभा में पांच सदस्य छोड़ दिया जायें । इसके लिये मेरा पार्लियामेंटरी प्रिन्सिपल में रोज ६६० पर यह लिखा हुआ है :—

"One or the other House has sometimes added more members to its committee and sent a message to the other House informing it of the fact and requesting it to make a corresponding addition to its committee, with which request the other House has complied."

हमारी प्रक्रिया और हाउस आफ़ कामन्स की जो प्रक्रिया है दोनों सलाह देते हैं कि हमारे मन्त्रीय गृह मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है यज्ञ न किया जाये बल्कि उसके बन्ध में एक दूसरा प्रस्ताव रखना जाये कि दूसरे सदन में ५ सदस्य बढ़ा दिये जायें । मुझे केवल यह निवेदन करना था ।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्होंने मेज पार्लियामेंटरी प्रिन्सिपल का हवाला दिया है ।

[अध्यक्ष महोदय]

मालूम नहीं कि वह कौन से सत्र से पढ़ते रहे.....

श्री म० ला० द्विवेदी : ६६२ पेज से मैंने पढ़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को उसी मेज के ४१६ पेज पर लाता हूँ । वहाँ मोडिफिकेशन ऑफ रेजोल्यूशन को हैडिंग में यह दिया हुआ है :—

“A motion modifying the solution of the same session, by omitting or altering subsidiary portions of it is in order so long as it is not sought to reverse it in substance.”

अब बात यह हुई कि उन्होंने हम से मांगा कि २० मेम्बर हमको भेजो और उन्होंने कहा कि वह हाउस कौनकर करे इतिफाक करे । ऐडवाट उन्होंने कर लिया कि २० मेम्बर होंगे लोक सभा के । फंसला तो उनका हो गया । अब हमने तो यहां सिर्फ कौनकर करना था । हमें यह तय करना था कि हम उसमें शामिल होने के लिये तैयार हैं या इंकार करते हैं । हमें सिर्फ यही करना था कि अगर हम उससे इतिफाक करते हैं और शामिल होने को तैयार हैं तो वह बीस नाम हम दे दें । यहां गलती इस बात की हुई कि २० को जगह आमती पर ४५ १५ या ३० होते हैं । शायद किसी ने गलती की । गलती बड़ी अफसोसनाक है । ऐसी गलती नहीं होनी चाहिये । वाकई इस बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिये कि हाउस में जब आने लगे तो उसको ज्यादा ऐहतियात और पड़ताल की जाये । जो भी उसके मिनिस्टर इनचार्ज हों जिन्हे उसे पेश करना हो लाजिमी तौर पर ज्यादा अहतियात बतें । ऐसी गलती नहीं आनी चाहिये । उनसे वह गलती हुई । अब हमारे सामने सिर्फ सवाल यह है कि रेजोल्यूशन उन का राज्य सभा का है कि २० मेम्बरस शामिल होंगे तो या तो २० मेम्बरस हम शामिल करें तब तो उस पर चलें अगर नहीं करें तो २० मेम्बरस का जो उनका रेजोल्यूशन है उससे तो हम कौनकर नहीं कर सकते.....

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा निवेदन है कि जब सदन ने प्रार्थना की थी कि हम २० सदस्य उनको दें और हम उसमें कौनकर करें लेकिन इस सदन ने यह उचित समझा कि बजाय २० सदस्य के हम ३० सदस्य नामजद करें इसलिये ३० सदस्य नामजद किये । अब यह जो कहा जा रहा है कि गलत रख दिये तो मेरा कहना है कि जब सदन इस संबंध में निर्णय ले चुका है तब उसको पलटना ठीक नहीं है । अगर सदन ने यह निर्णय न लिया होता और उस समय इस ओर ध्यान दिलाया होता तो दूसरी बात थी । किसी ने उस समय आपत्ति नहीं की ।

आपने इस धारा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया.....

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे उसके बारे में कहते ही नहीं दिया बीच में ही मुझे काट दिया मैं धारा की तरफ कहां ध्यान देता ? अब जो धारा आप मेरे सामने लाये हैं उस ३३८ धारा में यह दिया हुआ है :—

“A motion shall not raise a question substantially identical with the one on which the House has given a decision in the same session.”

तो वहां कौनकरेंस का जो मोशन था हमने उससे कौनकर किया । अगर हम कौनकरेंस को उलटना चाहे तो यह दूसरा मोशन उसको उलट रहा है । यह उस रेजोल्यूशन में है कि हम कौनकर करते हैं । हमारे यह अपने ही रेजोल्यूशन में जो हमने फंसला लिया है उसमें पेटेंट गलती है कि एक पोशन में हम कहते हैं कि राज्य सभा से कौनकर करते हैं जिसका कि मतलब यह है कि २० मेम्बरस देते हैं और दूसरे में नीचे जाकर ३० लिख कर दे देते हैं । इस तरह हमारे रेजोल्यूशन में जो पेटेंट गलती और कनफ्लिक्ट है वह हमें दुफ्त करना चाहिये । जो पेटेंट एरर है उसको दुफ्त करने का इंसान को हर वक्त हक हासिल है । अब अदालत बजाय मुलजिम को इतनी सधा दी जाती है जल्दी में यह लिख दिया जाये

कि मुस्तगीज को सजा दी जाती है तो अदालत इस पेटेंट गलती को सही कर सकती है। यह नहीं कि मुस्तगीज को ही सजा हो जायगी। ऐसी पेटेंट ऐरर को चाहे कोर्ट हो अथवा हाउस हर वक्त दुरुस्त कर सकता है।

इस वक्त हमारे सामने जो सवाल है वह यह है कि रेजोलूशन में ही एक पेटेंट गलती है। हमने एक डिस्मिशन जो लिया वह ठीक नहीं लिया। डिस्मिशन में साफ तौर पर एक गलती है। हमने ऊपर वाले हिस्से में लिखा है :—

“This House concurs in the re-commendation of the Rajya Sabha.....”

उसमें आ गया कि हम बीस मेम्बर देने को तैयार हैं और नीचे नाम लिखते हैं तीस मेम्बर के। इसलिये यह ऐसी गलती है जोकि हर वक्त दुरुस्त की जा सकती है। आखिरी वक्त भी दोनों सूरतें हो सकती थीं। चाहे वह अपने रेजोलूशन को अर्मेड करते या बिलकुल नये सिरे से रखते। मगर चूंकि हमारे रेजोलूशन में एक कनफ्लिक्ट है उनके में नहीं है इसलिये दुरुस्ती यहां होनी है। हम एक जगह लिखते हैं कि उनसे हम कौनकर करते हैं जिसका कि मतलब यह है कि हम बीस मेम्बर देते हैं लेकिन नीचे नाम लिखते हैं तीस मेम्बर के। यह ऐसी पेटेंट ऐरर है जोकि हर वक्त दुरुस्त कर सकते हैं। यह जो लाया गया है यह धारा ३३८ उसमें कोई बाधा नहीं डालती है।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में यह कहता हूं कि हाउस को गलती सुधारने का अधिकार है इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि जब हाउस ने एक निर्णय ले लिया और उनसे कौनकर करते हुये ३० मेम्बरस का निर्णय ले लिया तब इसको दुरुस्त करने का दूसरा रास्ता यह भी है कि हम दूसरे सदन से यह प्रार्थना करें कि वह अपने सदस्यों में पांच

सदस्य और बढ़ा दें तो वह गलती भी दुरुस्त हो जायगी और काम भी बन जायेगा। इसलिये हमको इजाजत दी जाय जिस तरिके से कि वित्त मंत्री को इजाजत दे रहे हैं कि वह एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं उसी तरह तरिके से हमें यह इजाजत दी जाय कि हम एक आलटरनेट मोशन रख सकें जिससे कि दुरुस्ती हो जाय और सदन का जो फैसला है वह भी न कटे।

अध्यक्ष महोदय : अब आप या तो यह कहें कि हम कौनकर नहीं करते लेकिन अगर उनके साथ कौनकर करते हैं तब आप बीस के बजाय ३० नाम कैसे दे सकते हैं? यह दोनों चीजें मुतजाद हैं। या तो कहिये कि कौनकर नहीं करते और अगर कौनकर करते हैं तो आपको २० देने होंगे ३० आप नहीं दे सकते हैं। यही बात मैं बारबार मेम्बर साहब को कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : जिसने गलती की उसे सजा तो होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब सजा की बात यह है कि मैंने गवर्नमेंट से कहा है कि इस बात का ऐहतियात रक्खा जाय कि हाउस में ऐसी गलती वाली चीज न पेश की जाये। अब जो यह रेजोलूशन स्पॉन्सर करते हैं उन साहब की गलती है जो ऐहतियात के साथ इसे हाउस में नहीं लाये और यह गलती उसमें रहने दी। इसलिये गलती उनकी ज्यादा है जिन्होंने कि इसे हाउस में पेश किया मगर गलती हम सब की भी है और हमें भी उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये कि किसी ने उसका ख्याल नहीं किया।

इसके अलावा यह भी मुनासिब है कि जो मोशन दिया जाय तो उस मोशन के साथ नाम जरूर आने चाहियें। उसमें नाम नहीं दिये हुये थे। नाम पीछे पड़े गये। नाम मोशन के साथ आने चाहियें।

Mr. Speaker: The question is:

"That in the motion adopted on Wednesday, September 5, 1962 concurring in the recommendation of Rajya Sabha that the Lok Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill to consolidate and amend the Law for the limitation of suits and other proceedings and for purposes connected therewith, the names of the following Members who are in excess of the number of the Members of Lok Sabha to be nominated to serve on the said Joint Committee be omitted and a message sent to Rajya Sabha making the necessary correction in the message sent to that House on the 5th September, 1962: Shri P. C. Borooah, Shri Bhola Raut, Shrimati Subhadra Joshi, Shri Virbhadra Singh, Shri Gopal Dutt Mengi, Shri T. Abdul Wahid, Shrimati Sangam Laxmi Bai, Shri Bishan Chander Seth, Shri Frank Anthony and Shri Tridib Kumar Chaudhuri."

The motion was adopted.

13.11 hrs.

WORKING JOURNALISTS (AMENDMENT) BILL.*

The Minister of Labour in the Ministry of Labour and Employment (Shri Haqhi): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Working Journalists (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 and the Working Journalists (Fixation of Rates of Wages) Act, 1958.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Mr. Speaker, Sir, I am not seeking to oppose this necessary and salutary piece of legislation but, by your leave, I should like to invite your attention to the matter I raised exactly a week ago, last Friday, and about which you were good enough to hold over your ruling till the close of the session.

Sir, I will be very brief. I spoke to you in your chamber the other day and you permitted me to raise this matter today, before the House adjourned. May I remind you of what I said last Friday soon after the Minister for Parliamentary Affairs announced the business for this week? I said that the business was not well planned, and I venture to say that the Parliament here, the Parliament of the nation of India, cannot function satisfactorily unless the business of the House is properly planned and efficiently implemented.

As I said earlier, I do not oppose the introduction of this Bill. But look at the Bulletin Part I dated Tuesday, 4th September, 1962 and also the earlier Bulletin dated Friday, 31st August, 1962. Neither of them makes a reference to this Bill. On the other hand, several Bills which have been listed here in both the Bulletins have not been taken up at all. And, this was for one week only. Even one week they could not plan the business well.

Shrimati Remu Chakravartty (Barackpore): The Minister is not here.

Shri Hari Vishnu Kamath: I requested him to wait, but he has run away. I sent a special message requesting him to be present here.

Mr. Speaker: Shri Rane is there and he is listening to the hon. Member's arguments.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am glad his Deputy is here and I hope he will convey the matter to the Minister.

I, therefore, submit that for the future at least the Government shall be careful in preparing the business for the House and see that it is properly and efficiently implemented. The only way out, to my mind, is, if they cannot put through their business well and properly, either the Parliament has longer sessions—as far as I remember, the first Lok Sabha and the second Lok Sabha used to

*Published in the Gezette of India, Part II, section 2, dated 7-9-62.